DATE

Daily Notes

अंकेक्षण या लेखा - परीक्षण (Auditing)

लेखा - परीक्षण का विकास उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ था। यह लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण का अभिन्न अपरिहार्य अंग है। लेन - देन के पूर्ण होने के पश्चात् लेखाओं की जाँच तथा परीक्षण ही लेखा - परीक्षण कहलाता है। इस जाँच का उद्देश्य किसी भी अनधिकृत, अवैध या अनियमित व्ययों, दोषपूर्ण वित्तीय कार्यविधियों की खोज तथा विधानमण्डल को तत्सम्बन्धी सूचना देना एवं यह पता लगाना होता है कि प्रशासन ने अपने उत्तरदायित्वों को सच्चाई के साथ पूरा किया है या नहीं। लेखा - परीक्षण प्रशासन के ऊपर बाह्य नियंत्रण का एक पहलू है और यह सभी वित्तीय लेन-देनों के लिए स्वतंत्र परीक्षण द्वारा प्रशासन को उत्तरदायी ठहराता है।

अंकेक्षण से आशय लेखों की सत्यता की जाँच करना होता है, जिससे यह स्पष्ट हो सके की वे सही रूप से संबंधित सौदे के लिए किए गए हैं की नहीं।

अंकेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा Meaning & Definition of Auditing

'अंकेक्षण' शब्द अंग्रेजी के 'ऑडिटिंग' (Auditing) शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के 'ऑडिरे' (Audire) शब्द से लिया गया है जिसका वास्तविक अर्थ होता है 'सुनना' (To hear)। प्राचीन समय में मिस्र, यूनान तथा रोम साम्राज्यों में राजकीय कोषों का हिसाब - किताब रखने के लिए चतुर लेखापालकों की नियुक्ति की जाती थी। ये लेखपाल न्यायिक अधिकारियों के सामने उस हिसाब - किताब को पढ़कर सुनाते थे। और न्यायिक अधिकारी इसे सुनकर अपना निर्णय देते थे। प्राचीन समय की इसी 'सुनने की क्रिया' को अंकेक्षण का उद्गम माना जाता है। बाद में इटली और इंग्लैण्ड जैसे देशों में 'अंकेक्षण' कार्य की विधिवत शुरुआत हुई। 'अंकेक्षण' को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित कर उसके उद्देश्यों एवं प्रक्रिया को बताने की कोशिश की।

Scanned with CamScanner

जेम्स ए० चार्ल्सवुड के शब्दों में, " लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि प्रशासन ने अपनी धनराशियों का प्रयोग विधायी प्रपत्र की उन शर्तों के अनुसार किया है, अथवा कर रहा है। जिससे धन का विनियोग किया है।"

जे० आर० बॉटलीबॉय के अनुसार, " अंकेक्षण किसी व्यापार के हिसाब किताब की पुस्तकों की एक ऐसी बुद्धिमतापूर्ण एवं आलोचनात्मक जाँच है जो उन प्रपत्रों व प्रमाणकों की सहायता से की जाती है जिनसे वे तैयार किये गये हैं। इस जाँच का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि लाभ-हानि खाते में दिखाया गया एक निश्चित अवधि का कार्यकाल व चिट्ठे में दिखाई गई व्यापार की वित्तीय स्थिति उन व्यक्तियों द्वारा सत्यता से निर्धारित व प्रदर्शित की गई है अथवा नहीं, जिन्होंने इसे तैयार किया है।"

लारेन्स आर० डिक्सी के अनुसार, " अंकेक्षण हिसाब-किताब के लेखों की जाँच है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे पूर्णतः एवं सही रूप से सम्बन्धित सौदों के लिए किए गए हैं। साथ ही यह भी निश्चित हो सके कि सभी सौदे अधिकृत रूप से किये गये हैं।"

ए० डब्ल्यू० हैन्सन के शब्दों में, " सम्पूर्ण लेखों की ऐसी जाँच को अंकेक्षण कहते हैं ~~जिनके~~ जिनसे कि उन पर विश्वास किया जा सके तथा उनके द्वारा बताए गए विवरणों पर भी विश्वास किया जा सके।

- अंकेक्षण का इतिहास व भारत में लेखा व्यवसाय का विकास

हैरी इवान्स (Harry E. Evans) का मत है कि अंकेक्षण के संगठित रूप में विकास का सूत्रपात कम्पनी के प्रादुर्भाव के साथ हुआ है लेकिन जिस रूप में आज देखने को मिलता है पहले वह रूप नहीं था। अंकेक्षण का इतिहास एवं भारत में लेखा व्यवसाय का विकास निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है :-

1) प्राचीन काल - अंकेक्षण शब्द ऑडिट से बना है। यह शब्द लेटिन भाषा 'ऑडिरे' शब्द से लिया गया है जिसका सही अर्थ है सुनना। शुरु में अंकेक्षण सिर्फ सुनने से ही सम्बन्धित था। उन दिनों व्यक्ति अपने लेखे किसी न्यायाधीश को सुनाते

Scanned with CamScanner

थे जो कि सुनकर अपनी राय देता था कि लेखे सही हैं या नहीं। यह प्रथा यूनान, रोम इत्यादि के साम्राज्यों में प्रयोग की जाती थी जिसका प्रयोग सार्वजनिक संस्थाओं एवं राजकीय बही खातों की जाँच हेतु किया जाता था।

2) पन्द्रहवीं शताब्दी एवं इसके बाद - सन् 1494 में दोहरा लेखा प्रणाली के जन्म के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के फलस्वरूप लेखांकन की उन्नति भी हुई। भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1882 की प्रथम अनुसूचि तालिका 'ए' के 83 से 94 तक के नियमों में कम्पनी अंकेक्षण से संबंधित नियम दिए गए थे।

3) भारतीय कम्पनी विधान 1913 - भारत में भी सार्वजनिक कम्पनियों के लेखों का अंकेक्षण, भारतीय कम्पनी विधान, 1913 द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। इससे पूर्व कम्पनियाँ अंकेक्षण संबंधी प्रावधान अपने अन्तर्नियमों में कर लिया करती थी।

4) गवर्नमेंट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी - प्रांतीय सरकारों में सर्वप्रथम बम्बई सरकार ने सन् 1918 में लेखाशास्त्र तथा अंकेक्षण के क्षेत्र में डिप्लोमा देने की व्यवस्था की। इसके अन्तर्गत लेखा व्यवसाय में प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक योग्यता परीक्षा पास करना जरूरी था तथा किसी मान्यता प्राप्त लेखापालक के अधीन तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। इस परीक्षा का नाम Government Diploma in Accountancy (GDA) था। ऐसे व्यक्तियों को जो योग्यता परीक्षा पास कर लेते थे, भारत के प्राय: सभी प्रांतों में अंकेक्षक की तरह नियुक्त किया जा सकता था। भारत सरकार ने बम्बई के सिडनेमश कालेज की बी० कॉम (लेखा एवं अंकेक्षण विषय सहित) परीक्षा को जी० डी० ए० के समकक्ष मानते हुए योग्यता परीक्षा घोषित कर दिया तथा शीघ्र ही समस्त भारत में इस डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त हो गयी।

5) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम - सन् 1932 के

बाद केन्द्रीय सरकार ने यह भार अपने ऊपर ले लिया। इसी वर्ष अंकेक्षक प्रमाण-पत्र नियम (Auditor's Certificate Rules) बनाए गए और उनके नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड एकाउंटेण्ट (Registered Accountant or R.A.) की उपाधि प्रदान की जाने लगी।

6) भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना, 1949 - श्री सी० सी० आई की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर अप्रैल 1949 में Chartered Accountant Act पास हुआ, जो 1 जुलाई 1949 में लागू किया गया था जिसके माध्यम से भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना हुई। इस संस्थान का सदस्य ही एक योग्यता प्राप्त अंकेक्षक कहलाता है जिसे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट कहते हैं। इससे पूर्व प्रांतीय सरकारों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर अभी भी अंकेक्षक हैं, उन्हें सर्टिफाइड ऑडिटर्स कहते हैं।

7) कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स बिल 1958 - सन् 1944 में भारत में 'दी इन्सटीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स' का एक 'गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी' के रूप में रजिस्ट्रेशन किया गया था क्योंकि भारत सरकार यह महसूस करती थी कि पश्चिमी देशों की भांति भारत में भी लागत लेखा के जानकार हों। भारत सरकार ने सन् 1958 में एक बिल पेश किया, उपर्युक्त बिल को 19 मई 1959 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गयी तथा इस प्रकार 'कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स संस्थान' की स्थापना एक स्वायत्त संस्थान के रूप में हुई।

8) कम्पनियों में लागत लेखा अंकेक्षण, 1965 - कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि उद्योगों में लगी किसी भी कम्पनी को लागत अंकेक्षण कराना अनिवार्य कर सकती है तथा इसी अधिकार के अधीन केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी 1969 से कुछ उद्योगों में लागत लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिसके पृथक से आदेश जारी होते हैं।

9) अन्तराष्ट्रीय लेखा आंदोलन, 1973 - एक अन्तराष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना की गयी है। इस समिति की पहली बैठक

डसेलडर्फ में 26 तथा 27 अप्रैल 1973 को हुई। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैण्ड, भारत, मैक्सिको, यू० के०, फिलीपाइन्स, जर्मनी और यू० एस० ए० के लेखांकन पेशे के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समिति में उस समय जापान को भी अपना सदस्य बनाना तय किया था। इस समिति के अधीन अन्तराष्ट्रीय लेखामानक समिति भी है जो कि संसार में लेखांकन के संबंध में मानकों का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की सरकारों से मानक लागू करवाने के लिए प्रयत्नशील है।

10) अन्तराष्ट्रीय अंकेक्षण प्रेक्टिस कमेटी 1979 - अन्तराष्ट्रीय अंकेक्षण प्रेक्टिस कमेटी (जिसका भारत भी एक सदस्य है) ने सभी सदस्य देशों को अंकेक्षण मार्ग-दर्शिका निर्गमित की है। यह कमेटी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन International Federation of Accountants (IFAC) का ही अंग है।

अंकेक्षण की विशेषताएँ

1) संस्था - अंकेक्षण किसी भी संस्था (सरकारी, गैर-सरकारी, व्यापारिक तथा गैर-व्यापारिक) के हिसाब-किताब का किया जा सकता है।

2) स्वतंत्र व्यक्ति - अंकेक्षण कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जिसका व्यापार अथवा संस्था से किसी भी प्रकार का संबंध न हो। तभी निष्पक्ष जाँच सम्भव है। अतः वर्तमान में चार्टर्ड लेखपाल की नियुक्ति की जाती है।

3) जाँच का स्वरूप - अंकेक्षण द्वारा की गई जाँच सिर्फ गणित से संबंधित शुद्धता को ही प्रकट नहीं करती बल्कि यह एक बुद्धिमतापूर्ण निष्पक्ष जाँच है जो हिसाब की पूर्ण शुद्धता दर्शाती है।

4) लेखा पुस्तके - अंकेक्षण में लेखा-पुस्तकों की जाँच होती है। अंकेक्षण को अपना कार्यक्षेत्र सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित नहीं करना बल्कि अन्य वैधानिक पुस्तकें तथा विभिन्न तथ्यों की जानकारी भी करनी होती है।

5) प्रमाणक एवं प्रपत्र - लेखा पुस्तकों की जाँच प्रमाणकों एवं

Scanned with CamScanner

प्रपत्रों के आधार पर की जाती है, यदि यह उपलब्ध न हो तो इनकी प्रतिलिपियों से पुष्टि की जाती है।

6) सूचना एवं स्पष्टीकरण - जाँच का आधार प्रमाणक ही होते हैं फिर भी अंकेक्षक यदि प्रमाणक से संतुष्ट नहीं है तो लेन-देनों का सत्यापन करने के लिए सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण माँग सकता है।

7) बुद्धिमतापूर्ण - अंकेक्षण द्वारा की जाने वाली जाँच का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है अतः इस कार्य में बुद्धि एवं चतुराई की आवश्यकता होती है जो इस कार्य के अनुभव से प्राप्त होती है।

8) जाँच का उद्देश्य - लेखा - पुस्तकों की जाँच का उद्देश्य एक निश्चित अवधि में बनाए गए लाभ-हानि खाते के परिणामों को एवं एक निश्चित तिथि को चिट्ठे में दर्शाये गये सम्पत्ति एवं दायित्वों का सत्यापन करना है तथा संतुष्टि पर प्रमाण-पत्र देना होता है। वास्तव में अंकेक्षक को अंतिम खातों की जाँच पर अपनी राय प्रकट करनी होती है।

9) नियमानुकूलता - भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी का चिट्ठा व लाभ-हानि खाता बनाते समय भी कुछ महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। अतः कम्पनी अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में लिखना होता है कि चिट्ठा नियमानुकूल है अथवा नहीं।

10) अवधि - अंकेक्षण साधारणतः एक वित्तीय वर्ष या एक लेखा वर्ष के लेखों का किया जाता है। यदि एक से अधिक वर्ष के लेखों का अंकेक्षण किया जाता है तो यह जाँच अनुसंधान कहलाती है।

11) परिणाम - लेखों की जाँच के बाद इसकी सत्यता व औचित्य के विषय में रिपोर्ट देनी होती है। यदि अंकेक्षक किसी बात से संतुष्ट है तो इसका वर्णन स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में करता है।

- लेखा - परीक्षण के प्रकार (Kinds of Audit)

लेखा - परीक्षण के चार प्रकार हैं -

Scanned with CamScanner

DATE

Daily Notes

1. पूर्व - लेखा परीक्षण - इसमें व्यय करने से पहले ही परीक्षण कर लिया जाता है अर्थात् इसका उद्देश्य किसी सौदे के पूर्ण होने के पहले ही उसके महत्वपूर्ण तत्वों अथवा वित्तीय लेन-देनों की परिशुद्धता का परीक्षण कर लेना है। इस पद्धति के द्वारा अनावश्यक शासकीय व्यय को रोक दिया जाता है। इस कारण अवैध भुगतान पर अंकुश लग जाता है।

2. उत्तर - लेखा परीक्षण - इस व्यवस्था के अन्तर्गत खर्च हो जाने के बाद उसके आधार पर बनाए गए अभिलेखों का लेखा-परीक्षण किया जाता है। आमतौर पर लोक वित्त का लेखा-परीक्षण धन के व्यय करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

3. आन्तरिक लेखा परीक्षण - इसे विभागीय लेखा-परीक्षण भी कहते हैं। जब विभाग द्वारा व्यय की गयी राशि का विभागीय अंकेक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षण कराया जाता है तो उसे आंतरिक लेखा-परीक्षण कहते हैं।

4. बाहरी - लेखा परीक्षण - इस प्रकार की व्यवस्था में लेखा-परीक्षण का कार्य विभाग के बाहर के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। भारत में सभी मन्त्रालयों के लेखों का परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय करता है। अतः यह सभी विभागों के लिए बाहरी लेखा-परीक्षण है।

• अंकेक्षण की भारतीय पद्धति Auditing System of India

भारतीय लेखा-परीक्षण और लेखा विभाग की स्थापना 1753 में ही हो गयी थी किन्तु स्वतंत्र लेखा परीक्षण का प्रारंभ मॉण्टफोर्ड सुधारों का सूत्रपात होने के साथ 1919 में हुआ था। महालेखापरीक्षक भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त था। उसकी नियुक्ति राज्य सचिव द्वारा की जाती थी और वह सम्राट की इच्छा पर्यन्त अपने पद पर रहता था। वह सपरिषद् गवर्नर जनरल के माध्यम से अपना प्रतिवेदन राज्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत करता था। भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन उसके स्तर तथा महत्व में वृद्धि हो गयी। कार्यपालिका ने उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए यह

Scanned with CamScanner

व्यवस्था की गयी कि वह अपने पद से हटने के पश्चात ब्रिटिश क्राउन के अधीन अन्य कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। संघीय न्यायालय के किसी जज को पदच्युत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उसे भी उसके पद से हटाया जा सकता था।

1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत में महालेखापरीक्षक के पद का नाम बदलकर भारत का लेखा-नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक कर दिया गया है। कुछ बातों में उसके स्तर तथा उत्तरदायित्व में भी वृद्धि कर दी गयी है। नवीन पदनाम के अनुसार अब सार्वजनिक कोषागार से धनराशि निकालने पर उसका नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है। यह नियंत्रण भारत के वित्तीय प्रशासन में पहले नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों के लिए स्वतंत्र महालेखापरीक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी थी। परंतु किसी भी प्रांत ने इस प्रावधान का उपयोग नहीं किया था। संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। राज्यों एवं संघ के सम्पूर्ण वित्तीय प्रशासन को लेखा-नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की अविभाज्य सत्ता के अधीन कर दिया गया है।

लोक लेखों तथा राजकीय लेन-देनों की वैधानिकता की जाँच के लिए अंकेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया से यह पता करने की प्रयास किया जाता है कि क्या लोक व्यय :-

i) स्थापित कानूनों तथा नियंत्रणों के अनुरूप हुआ है।
ii) व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत विनियोजन विधेयक के अनुसार किया गया है।
iii) प्रशासनिक स्वीकृतियों की पालन करते हुए किया गया है।
iv) वित्तीय विवेक की मान्य धारणाओं की पुष्टि करता है।

लोक व्यय (Public Expenditure) से सम्बन्धित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसे उतनी ही सावधानी से प्रबंधित करे जितनी सावधानी किसी व्यक्ति

Scanned with CamScanner

द्वारा निजी आय का खर्च करते समय रखी जाती है। लोक राजस्व को व्यक्तिगत या वर्गीय हितों के लिए खर्च नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोई वैधानिक दायित्व न बनता हो अथवा अदालती निर्देश न हो। इन उपदेशों की रक्षा के लिए एक शताब्दी पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री ने 1866 में अपने देश में अंकेक्षण अधिनियम पास कराया और अंकेक्षण विभाग की स्थापना की थी। आज यह व्यवस्था दुनिया के सभी देशों द्वारा कार्यपालिका के वित्तीय कार्यों की जाँच - पड़ताल के लिए किसी-न-किसी रूप में अपना ली गयी है।

सरकारी परिव्यय (Public Expenditure) की इस सूक्ष्म जाँच से सम्बन्धित अंकेक्षण कार्य भारत में केन्द्रीय सरकार द्वारा करवाया जाता है। भारत में अंकेक्षण का कार्य किसी कानून से नहीं, बल्कि 1936 की भारत सरकार की अंकेक्षण तथा लेखा संबंधी कार्यपालिका की आज्ञा (Govt. of India Audit & Account Order, 1936) के अंतर्गत संचालित किया जाता है। इसी आज्ञा को 1947 की 'भारतीय (अस्थायी संविधान) आज्ञा' (Indian Provisional Constitution) Order, 1947 स्वीकार कर लिया गया था।

भारत में अंकेक्षण का क्षेत्र Scope of Auditing in India

भारत में अंकेक्षण का कार्य प्रमुख रूप से सरकारी व्यय तक ही सीमित है। आमदनियों का अंकेक्षण तो केवल उन्हीं मदों तक सीमित रखा जाता है जिन्हें कार्यपालिका द्वारा करवाए जाने का अनुरोध किया जाए। प्रचलित परंपरा के अनुसार पोस्ट तथा तार विभाग, रेलवे तथा सीमा शुल्क से संबंधित आमदनियों का अंकेक्षण करवाया जाता है जबकि आयकर सहित अन्य प्राप्तियों का अंकेक्षण नहीं होता। इसके विपरीत ब्रिटेन में नियंत्रक तथा महाअंकेक्षक को सभी प्रकार की सरकारी आमदनियों का अंकेक्षण करने का 1921 के अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की मोटे तौर पर जो कार्य करने होते हैं निम्न हैं:-

1) राजकोष तथा निगमों पर नियंत्रण रखना

Scanned with CamScanner

2) सरकार के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले स्वत्वाधिकारों (claims) को निपटाना तथा समायोजित करना।

3) सरकार के पक्ष में बनने वाले स्वत्वाधिकारों को निपटा कर इनके समायोजन की व्यवस्था करना

4) पूरे प्रशासन तंत्र से सम्बन्धित लेखांकन (Accounting) को निर्देशित एवं नियंत्रित करना

5) वार्षिक लेखे तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करना

6) पूरे वित्तीय प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की एक इकाई के रूप में कार्य करना।

यद्यपि भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान की धारा 148 के तहत कार्यपालिका की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किन्तु फिर भी हमारे यहाँ की अंकेक्षण व्यवस्था मूलतया एक प्रशासनिक क्रिया बनकर रह गयी है।

• भारतीय अंकेक्षण व्यवस्था की आलोचना (Criticism of Auditing in India - इसकी निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है :-

1. भारतीय अंकेक्षण व्यवस्था एक प्रशासनिक कार्य होना - तकनीकी दृष्टि से देखने पर भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यपालिका को ही प्रस्तुत करना होता है क्योंकि भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार केन्द्र में राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख माने जाते हैं और अपनी इसी हैसियत से ये दोनों महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन को संसद अथवा विधान सभा के समक्ष रखते हैं।

2. मात्र कानूनी औपचारिकता - भारतीय विधान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यह आदेश देता है कि "यह सुनिश्चित करे कि लेखों में दिखायी गयी धनराशि वैधानिक तौर पर जिस उद्देश्य निर्धारित थी, उपयोग में लायी गयी, उसी उद्देश्य के लिए उपलब्ध थी तथा सरकारी व्यय उन शक्तियों के अनुरूप किया गया है जो इसे निर्देशित करती है।" इस

Scanned with CamScanner

कथन से यह धारणा बनती है कि भारत में अंकेक्षण का कार्य सिर्फ सरकारी व्यय की जाँच तक ही सीमित है। व्यय के औचित्य के बारे में महानियंत्रक को अपनी राय देने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसे करने का मतलब पूरे प्रशासन तंत्र से झगड़ा मोल लेना, जो हर महालेखा परीक्षक टालने का प्रयास करता है। यद्यपि हमारे यहाँ कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है कि सार्वजनिक व्यय में अविवेक, अपव्यय अथवा दुरुपयोग पर कोई टीका - टिप्पणी न की जाए, जहाँ कहीं ऐसा साफ - साफ दिखायी देता हो तथापि महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकार की टिप्पणियाँ अपवादस्वरूप ही दिखायी देती है।

3. लेखांकन व अंकेक्षण एक ही संस्था के पास होना - भारत में लेखांकन के कार्यों की पृथकता न पाया जाना हमारी व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी लगती है जबकि ब्रिटेन में लेखांकन का कार्य प्रशासनिक मन्त्रालयों में नियुक्त लेखाधिकारियों द्वारा किया जाता है और अंकेक्षण की अलग व्यवस्था है। भारत में इन दोनों कार्यों को मिला देने का यह अर्थ निकलता है कि अंकेक्षण उन्हीं लेखों की जाँच करता है जो स्वयं उसके द्वारा तैयार किए जाते है। भारत के प्रथम नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदन में कहा था कि "वर्तमान व्यवस्था जिसके अन्तर्गत खर्च की शक्ति रखने वाले लोगों की पूर्ण तथा व्यवस्थित लेखे रखने की जिम्मेदारी नहीं है जबकि समस्त लेन - देन उनके द्वारा किए जाते है, इन लेखों को रखने तथा संकलित करने की जिम्मेदारी भारतीय अंकेक्षण विभाग जैसी बाहरी एजेंसी पर डाली गयी है, जो खर्च करने वाले विभागों की जिम्मेदारियों से मेल नहीं खाता। इस व्यवस्था के कारण उनके वित्तीय लेन - देनों पर प्रभावशाली नियंत्रण तथा विनियोजनों एवं बजट प्रावधानों के अनुरूप अपने व्यय को सीमित रखने की संसद के प्रति उनकी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं हो पाता। वस्तुतः वर्तमान व्यवस्थाएँ

Scanned with CamScanner

जिम्मेदारियों को हल्का बना देती है तथा अत्यधिक दोषपूर्ण है।"

• अंकेक्षण के लाभ Merits of Auditing

1. स्वयं के व्यापार के लिए
   I) आर्थिक स्थिति की जाँच
   II) अशुद्धियों तथा छल-कपट पता लगाना
   III) सुविधापूर्वक ऋण की प्राप्ति
   IV) साख में वृद्धि
   V) व्यापार के कुशल संचालन के लिए सलाह देना
   VI) कर्मचारियों पर नैतिक दबाव
2. मालिकों के लिए
   I) एकाकी व्यापारी को ठीक कार्य होने पर प्रमाण पत्र मिलना
   II) प्रन्यास में हिसाब किताब विश्वसनीय होना
   III) कम्पनी में संचालकों पर नियंत्रण होना
   IV) फर्म में अंकेक्षण होने पर सहायक
3. अन्य
   I) व्यावसायिक झगड़ों को निपटाने में सहायक
   II) सरकारी अनुदान व लाइसेंस आदि लेते समय सहायक
   III) कर अधिकारियों के लिए सहायक
   IV) ऋणदाताओं के लिए उपयोगी
   V) न्यायालय द्वारा मान्यता
   VI) व्यापारिक क्षति के दावों के निपटारे में सहायक

• अंकेक्षण की सीमाएँ Limitations of Auditing

1. सम्पूर्ण अंकेक्षण कार्यविधि सामान्यतः आंतरिक नियंत्रण की एक प्रभावी व्यवस्था की विद्यमानता पर निर्भर करती है।
2. कर्मचारियों की ईमानदारी का पूर्ण प्रमाण नहीं है।
3. अंकेक्षण शत-प्रतिशत शुद्धता की गारंटी नहीं देता है।
4. समस्त गबन पकड़े जाना संभव नहीं है।
5. अंकेक्षक का कार्य सिर्फ राय प्रकट करना है।
6. अंकेक्षक व्यवहारों के औचित्य को प्रमाणित नहीं करता है।

Scanned with CamScanner